

आवेदन पत्र को रिपोर्ट पर्यारी हल्का/आई०एल०आर० में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 मूल में निम्न है कि राजखंड खण्ड 178 जमाबंदी 2075-78  
 41वीं से 44वां नाम विजय सिंह पुत्र रामनाथ सिंह दर्ज रिकार्ड है जो  
 नाम विजय कुमार के द्वारा विजय कुमार सिना जाना प्रकटित है।  
 क्रमांक :- राजख/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :- 31/5/23  
 7/6/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार अपेक्षक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /

24/5/23

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंशुर् (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	मिखुवा	2075-2078	178	विजय सिंह शेष का	विजय कुमार शेष का

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

31/5/23  
 7/6/23  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2023  
 दिनांक 7.6.23 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजख/2020/227  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रभारी अधिकारी  
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2023  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी